राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

कमांक प0 24(17)प्रसु./अनु–1/2005

जयपुर , दिनांकः 5 मार्च ,2007.

समस्त प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव,

परिपत्र

विषयः– सचिवालय के प्रत्यक प्रशासनिक विभाग में सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में ।

विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 7.11.2006 से निवेदन किया गया था कि प्रशासनिक विभागों में मनोनीत **'प्रशासनिक विभागीय सूचना अधिकारी'(I.O.A.D.)** को अब **'सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी'(A.S.P.I.O.)** के रुप में नियुक्त कर सूचना प्रकाशित करावें ।

2. साथ ही सभी सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी गण को यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि :–

(1) यदि आवेदित सूचना दी जानी है तो **अपने स्तर पर निर्णय लेकर 30 दिवस में** आवेदक को सूचना उपलब्ध कराएगें एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी (प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग)को भी अवगत कराएगे।

(2) आवेदक द्वारा प्राप्त सूचना अपर्याप्त माने जाने पर उपलब्ध सूचना की पर्याप्तता पर निर्णय भी राज्य लोक सूचना अधिकारी,(सचिवालय) द्वारा लिया जावेगा । ऐसी स्थिति में संबंधित प्रशासनिक विभाग उपलब्ध कराई गयी सूचना के बाबत अन्य आवश्यक अतिरिक्त पूरक विवरण भी पत्रावली सहित राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्णयार्थ तत्काल उपलब्ध कराएंगे।

(3) यदि संबंधित प्रशासनिक विभाग यह महसूस करता है कि आवेदित सूचना नियमानुसार देय नहीं है या आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं है तो संबंधित सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह **5 दिवस के अन्दर** संबंधित पत्रावली राज्य लोक सूचना अधिकारी (प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग) को प्रस्तुत करेंगे, जिस पर अंतिम निर्णय राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही लिया जाएगा, जिसकी तदनुसार पालना की जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त सन्दर्भित परिपत्र में यह भी स्पष्टतः दर्शाया गया था कि आवेदित सूचना अन्य विभागों से सम्बन्धित होने पर धारा .6(3) के अनुसार कार्यावाही कर उक्त आवेदन पत्र **5 दिवस में अपने स्तर से सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित** करेंगे ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके ।

.........कमशः 2 पेज पर

4. परन्तु खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि अभी तक केवल 22 प्रशासनिक विभागों ने ही 'सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी' (A.S.P.I.O.) की नियुक्ति की है, शेष अन्य प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई पालना नहीं की गई हैं।

5. आवेदक को निर्धारित 30 दिवस की अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर प्रथम अपील दायर की जा सकती है एवं दायर अपीलों के निस्तारण से यह तथ्य स्पष्टतः दृष्टिगत हुये हैं कि अधिकांश सूचनायें 30 दिवस की अवधि के अन्दर नहीं दी जा रही है । सूचना विलम्ब से उपलब्ध करवाने की स्थिति में, सूचना उपलब्ध कराने की तिथि तक 250)रु0 प्रतिदिवस की दर से जुर्माना भी आरोपित किया जा सकता है । अपीलीय अधिकारी, सचिवालय एवं राज्य सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में हो रहे विलंब पर गम्भीर चिन्ता जताई हैं।

6. अतः आपसे निवेदन है कि जिन विभागों ने अभी तक 'सहायक लोक सूचना अधिकारी' नियुक्त नहीं किये है, तुरन्त नियुक्त कर विभाग को अवगत करावें एवं पूर्व परिपत्र दिनांक 7.11.2006 की अनुपालना में आवेदन पत्रों के निस्तारण में गति प्रदान करें एवं विलंब को टाला जावें।

(राकेश श्रीवास्तव)
प्रमुख शासन सचिव,
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
4. समस्त शासन उप सचिव,
5. समस्त सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी,
6. रक्षित पत्रावली ।

(गजानन्द)
शासन उप सचिव